बी एच ई एल BHEL	**भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल** **(भारत सरकार का उपक्रम)** नगर प्रशासन विभाग सम्पदा भवन, हॉस्टल न. 4, पिपलानी, भोपाल – 462022

(खुली निविदा)

निविदा क्र. न.प्र./दु.प्र./सा.पा.झी./2023/1016 दिनांक: 29/03/2023

विषय: बी.एच.ई.एल. लोक परिसर, भोपाल में स्थित सारंगपाणी झील में मछली पालन किये जाने हेतु अस्थाई अनुमति प्रदान किये जाने संबंधी।

बीएचईएल लोक परिसर, भोपाल के सारंगपाणी झील में मछली पालन करने हेतु इच्छुक व पात्र व्यक्ति/ संस्था से खुली निविदा प्रणाली के अंतर्गत मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा दो भाग तकनीकी निविदा व मूल्य निविदा (प्राइस बिड) के अंतर्गत खोली जाएंगी। तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की ही मूल्य बिड (प्राइस बिड) खोली जाएगी, तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त अधिकतम लाइसेंस शुल्क उद्धत (quote) करने वाले (H1) निविदाकार को लाइसेंस आधार पर सारंगपाणी झील में मछली पालन हेतु अस्थाई अनुमति प्रदान की जायगी। तकनीकी रूप से योग्य निविदाकारों द्वारा एक समान अधिकतम (H1) मासिक लाइसेंस शुल्क उद्धत करने की दशा मे उन निविदाकारों का चयन लॉटेरी द्वारा किया जायेगा। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु दिशा-निर्देश, आवेदन प्रपत्र, तकनीकी मापदंड, मूल्य निविदा (प्राइस बिड), निबंधन एवं शर्तें, संबंधित परिशिष्ट, आदि जानकारी/ दस्तावेज निम्नानुसार हैः

<u>तालिका 1</u>

क्र.	दस्तावेज/ प्रारूप	परिशिष्ट क्र.	पृष्ठ क्र.
1.	निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु दिशा- निर्देश	परिशिष्ट 1	2-3
2.	आवेदन प्रपत्र	परिशिष्ट 2	4
3.	निबंधन एवं शर्तें	परिशिष्ट 3	5-6
4.	तकनीकी निविदा	परिशिष्ट 4	7
5.	मूल्य निविदा (Prize Bid)	परिशिष्ट 5	8

परिशिष्ट-1

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल
नगर प्रशासन विभाग
निविदा प्रपत्र

बी.एच.ई.एल. लोक परिसर, भोपाल में स्थित सारंगपाणी झील में मछली पालन किये जाने हेतु अस्थाई अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी खुली निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु दिशा-निर्देश।

निविदा क्र. न.प्र./दु.प्र./सा.पा.झी./2023/1016 दिनांक: 29/03/2023

1. बी.एच.ई.एल. लोक परिसर, भोपाल के ए-सेक्टर, पिपलानी में स्थित सारंगपाणी झील में लाइसेंस आधार पर मछली पालन किये जाने हेतु अस्थाई अनुमति प्रदान किये जाने हेतु इच्छुक व्यक्ति/ संस्था से निविदाएँ आमंत्रित की जा रहीं है। आरक्षित लाइसेंस शुल्क संबंधी विवरण, निविदा के नियम व शर्ते आदि इस निविदा प्रपत्र में दिये गये है। निविदा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ निम्नानुसार है :

तालिका क्र. 1

क्र	निविदा का प्रकार: खुली निविदा – दो भाग (तकनीकी व मूल्य निविदा) प्रणाली में।	
1	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने का दिनांक एवं समय (निविदा www.bhel.com से भी निविदा दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकता है)	दिनांक 30/03/2023 से 19/04/2023 तक समस्त कार्य दिवस पर प्रात: 09:00 बजे से अप: 12:00 बजे तक।
2	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने, निविदा पूर्व बैठक, शंका-समाधान, आदि हेतु नियत स्थान	वरि. अभियंता (नगर प्रशासन) का कार्यालय, दुकान प्रकोष्ठ, नगर प्रशासन विभाग, संपदा भवन, हॉस्टल न. 4, पिपलानी, बीएचईएल, भोपाल।
3	निविदा प्रपत्र का मूल्य (वेबसाईट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की दशा में भी शुल्क देय होगा)	रू. 200/- (रू. दो सौ मात्र) + 18% जीएसटी प्रति निविदा (क्रेडिट/डेबिट कार्ड/डीडी के माध्यम से देय, नगर प्रशासन विभाग के राजस्व अनुभाग में कार्य दिवसों पर प्रात: 09:00 बजे से अप: 12:00 बजे के बीच जमा की जा सकती है।
4	निविदा पूर्व बैठक का दिनांक व समय	दिनांक 11/04/2023 अप: 02:30 बजे
5	निविदा दस्तावेज जमा करने का अंतिम दिनांक	दिनांक 20/04/2023 दोपहर 02:00 बजे तक
6	तकनीकी निविदा खुलने का दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 20/04/2023 दोपहर 03.30 बजे नगर प्रशासन विभाग, संपदा भवन, हॉस्टल न. 4, पिपलानी, बीएचईएल, भोपाल।
7	धरोहर राशि (EMD) जमा	रू. 21,368/-
8	कार्य प्रारंभ करने की संभावित तिथि	लाइसेंस अनुबंध के दिनांक से एक माह के बाद से (यह एक माह मछली पालन हेतु झील की साफ सफाई आदि कार्य करने हेतु दिया जायेगा। लाइसेंसी अपने खर्चे पर यह कार्य कर सकते है)।
9	निविदा की वैधता	निविदा खुलने की दिनांक से 06 माह तक

2. निविदा दस्तावेज में छेड़छाड़, परिवर्तन या बदलाव न करें। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि निविदा दस्तावेज में छेड़छाड़, परिवर्तन या बदलाव किया गया हैं तो नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सहित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
3. बीएचईएल द्वारा निविदाकार की सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। ऐसी निविदा सीधे तौर पर अस्वीकार कर दी जायेगी।
4. निविदा दस्तावेज वेबसाईट www.bhel.com से डाउनलोड किये जा सकते है वेबसाईट से निविदा दस्तावेज डाउनलोड/ प्राप्त करने की स्थिति में धरोहर राशि (EMD) के अतिरिक्त निविदा दस्तावेज शुल्क रूपये 200/- GST@18% कुल रूपये 238/- बी.एच.ई.एल. भोपाल के नाम देय डीडी/ एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से भुगतान कर तकनीकी निविदा के साथ मुहरबंद लिफाफे में रखना होगा, निविदा दस्तावेज शुल्क एवं धरोहर राशि (EMD) का भुगतान किए बिना जमा की गई निविदा अस्वीकार/ अमान्य कर दी जायेगी।

5. पूर्णत: भरी हुई एवं हस्ताक्षरित (क) तकनीकी बिड (ख) मूल्य निविदा (प्राइस बिड) अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में रखकर जमा करना अनिवार्य है। संबन्धित मुहरबंद लिफाफे के ऊपर सूचना क्र. न.प्र./द्.प्र./सा.पा.झी./2023/1016 दिनांक 29/03/2023, तकनीकी निविदा/ मूल्य निविदा (प्राइस बिड) एवं निविदाकार की जानकारी (नाम, पता एंव मोबाईल नम्बर) लिखना आवश्यक है।
6. दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में मुहर बंद कर उसके ऊपर निविदा क्र. न.प्र./द्.प्र./सा.पा.झी./2023/1016 दिनांक 29/03/2023, लिखकर लिफाफे पर निविदाकार की जानकारी (नाम, पता एंव मोबाईल नम्बर) मुहर/ रबर स्टंप लगाकर जमा करना होगा।
7. निविदा दस्तावेज: तकनीकी निविदा, मूल्य निविदा (प्राइस बिड) तथा निविदा के निबंधन व शर्तें, आदि यथा परिशिष्ट 1, 3, 4 व 5 आदि को प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर मुहर/रबर स्टांप लगाकर जमा करना होगा जिसका अभिप्राय है कि निविदा में उल्लिखित नियम व शर्तें निविदाकार को स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित अथवा अपूर्ण निविदा अमान्य होगी एवं उस पर विचार न करते हुए उसे अस्वीकृत किया जा सकता है। तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की ही मूल्य निविदा (प्राइस बिड) खोली जाएंगी।
8. **निविदा भरने से पहले निविदाकर्ता झील का भौतिक निरीक्षण कर मछली पालन हेतु उपयुक्तता एवं वास्तविक स्थिति सुनिश्चित कर लें।**
9. मूल्य निविदा (प्राइस बिड) में अधिकतम लाइसेंस शुल्क उद्धरणकर्ता (Highest Bidder/H-1) को बी.एच.ई.एल. भोपाल लोक परिसर में स्थित सारंगपाणी झील में लाइसेंस आधार पर मछली पालन कार्य करने हेतु पात्र माना जाएगा। एक समान उद्धत राशि की स्थिति में सफल निविदाकार का चयन लॉटरी द्वारा किया जायेगा।
10. सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि (EMD) को अनुमति पत्र जारी किए जाने पर प्रतिभूति जमा (SD) में समायोजित किया जाएगा तथा असफल निविदाकारों की धरोहर राशि (बिना ब्याज के) एनईएफटी/चैक द्वारा अनुमति पत्र जारी होने के उपरांत सामान्यत: तीन माह के भीतर वापस कर दी जाएगी, इस हेतु असफल निविदाकार को आवेदन कर रसीद की मूल प्रति, बैंक खाते का विवरण, पैन कार्ड की प्रति प्रदान करना होगा।
11. सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि (EMD) निम्नलिखित दशाओं में जब्त कर ली जाएगी :-
    - 11.1 आशय पत्र प्राप्ति से पूर्व निविदा की नियम व शर्तों से मुकरने पर।
    - 11.2 बी.एच.ई.एल. द्वारा जारी आशय पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर लाइसेंस शुल्क जमा नहीं करने और/अथवा शुल्क जमा कर 07 दिनों के भीतर लाइसेंस अनुबंध निष्पादित नहीं करने पर।
12. निविदा आवेदन पत्र में लाइसेंसी द्वारा दिये पते/संपर्कसूत्र (ई-मेल, मोबाइल नंबर आदि) पर बी.एच.ई.एल. प्राधिकारी द्वारा प्रेषित किया गया कोई भी संदेश/जानकारी/सूचना मान्य होगी जैसे कि रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजी गई सूचना, ई-मेल आदि।
13. निविदा में किसी भी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन (यदि कोई) की सूचना वेबसाइट www.bhel.com पर प्रदर्शित की जाएगी।
14. निविदाकार किसी भी शंका, संशय, समाधान, आदि हेतु निविदा प्रक्रिया के दौरान तकनीकी निविदा खुलने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी से लिखित रूप में संपर्क कर सकता है। निविदाकार संपूर्ण रूप से स्पष्ट होकर ही निविदा प्रक्रिया में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें।
15. निविदाकार को निविदा के सभी नियम एवं शर्तें मान्य होंगी। निविदा के किसी भी नियम व शर्तें न मानने की दशा में निविदाकार को निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में अपात्र घोषित कर निविदा प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा।
16. 'जैसा है – जहाँ है' के आधार पर सारंगपाणी झील मछली पालन हेतु दी जायेगी।
17. विद्युत, साफ-सफाई, एवं पानी आदि के लिये अतिरिक्त प्रभार बीएचईएल प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरो के आधार पर देय होगा।
18. निविदा भरने से पूर्व निविदाकर्ता को संबंधित क्षेत्र में स्थल का भौतिक एवं वास्तविक निरीक्षण कर निविदा भरना होगा जिसका यह तात्पर्य होगा कि निविदाकार प्रदत्त स्थल से संतुष्ट है।
19. निविदा संबंधी किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में अपर महाप्रबंधक (नगरीय) का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

बी.एच.ई.एल. के लिए तथा उसकी ओर से

वरि. अभियंता (नगर प्रशासन)

परिशिष्ट-2

निविदा आवेदन प्रपत्र

निविदाकार का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो

प्रति,

वरि. अभियंता (नगर प्रशासन)
नगर प्रशासन विभाग, सम्पदा भवन,
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
पिपलानी, भोपाल, म. प्र. – 462022

विषय: बी.एच.ई.एल. लोक परिसर भोपाल में लाइसेन्स आधार सारंगपाणी झील में मछली पालन किये जाने हेतु आवेदन।

संदर्भः निविदा क्र. न.प्र./दु.प्र./सा.पा.झी./2023/1016 दिनांक 29/03/2023

निविदाकर्ता का विवरण:

1. निविदाकार का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : ____________________________________
2. निविदाकार के पिता/पति/निदेशक (कंपनी की स्थिति में) का नाम ____________________________
3. निविदाकार की जन्म तिथि _____________ आयु ____ वर्ष
4. लिंग _____________
5. निविदाकार के कार्यालय का पूरा पता : ____
____ पिन:________________
6. निविदाकार के निवास का पूरा पता : ____
____ पिन:________________
7. टेलीफोन नं. ______________ मोबाइल नं. (1)______________ मोबाइल नं. (2)______________
8. निविदाकार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली ई-मेल आईडी: ______________________________________
9. **निविदाकार द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण, यदि कोई हो:**
10. प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम ____
11. टेलीफोन नं. ______________ मोबाइल नं. (1)______________ मोबाइल नं. (2)______________
12. पहचान पत्र (आईडी प्रूफ) ______________________________
13. निविदाकर्ता एजेंसी के साथ अनुभव ____________________________

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि सारंगपाणी झील को मछली पालन हेतु उपयुक्त पाता हूँ और पूरी तरह से झील की वस्तुस्थिति से अवगत एवं संतुष्ट हूँ। मैंने निविदा प्रपत्र में उल्लेखित नियम व शर्तों को एवं लाइसेंस अनुबंध के निबंधन व शर्तों (परिशिष्ट-1) को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है जो कि मुझे स्पष्ट एवं स्वीकार है।

निविदाकार/प्राधिकृत व्यक्ति के
हस्ताक्षर एवं मुद्रा

दिनांक: ____________________
स्थान: ____________________

इस आवेदन पत्र को तकनीकी निविदा के साथ मुख पृष्ट के रूप में रखें।

परिशिष्ट-3

बीएचईएल लोक परिसर, भोपाल में सारंगपाणी झील में मछली पालन किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने संबधी निबंधन एवं शर्तें:

1. लाइसेंस पूर्णतः अस्थाई होगा, लाइसेंस के नियम व शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से कभी भी लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।
2. झील जिस स्थिति में अभी है उसी स्थिति में मछली पालन हेतु लेनी होगी।
3. लाइसेंस की अवधि पाँच वर्ष की होगी। प्रत्येक वर्ष लाइसेंस शुल्क अग्रिम जमा करना होगा। लाइसेंस शुल्क की गणना निम्नानुसार की जायेगी।

क्र	अवधि	लाइसेंस शुल्क	सूत्र
1	लाइसेंस जारी करने के वर्ष (12 माह) हेतु	आवेदक द्वारा उद्धत अधिकतम शुल्क	A
2	लाइसेंस जारी होने के द्वितीय वर्ष हेतु	प्रथम वर्ष की लाइसेंस शुल्क पर 10% वृद्धि के साथ	B = 1.1*A
3	लाइसेंस जारी होने के तृतीय वर्ष हेतु	द्वितीय वर्ष की लाइसेंस शुल्क पर 10% वृद्धि के साथ	C = 1.1*B
4	लाइसेंस जारी होने के चतुर्थ वर्ष हेतु	तृतीय वर्ष की लाइसेंस शुल्क पर 10% वृद्धि के साथ	D = 1.1*C
5	लाइसेंस जारी होने के पंचम वर्ष हेतु	चतुर्थ वर्ष की लाइसेंस शुल्क पर 10% वृद्धि के साथ	E = 1.1*D

4. लाइसेंसी को पाँचों वर्ष की कुल लाइसेंस शुल्क का 5% (पांच प्रतिशत) राशि प्रतिभूति जमा (Security Deposit) के रूप मे भुगतान करना होगा।
5. लाइसेंस पर दी जाने वाली सारंगपाणी झील का क्षेत्र एवं भौगोलिक स्थिति निम्नानुसार हैं:-
   स्थलः- सारंगपाणी झील, ए -सेक्टर, पिपलानी, बी.एच.ई.एल. -भोपाल
   क्षेत्रफल:- 2.2 एकड़ लगभग
   उत्तर में:- खुला मैदान
   दक्षिण में: बांध
   पश्चिम में: मस्जिद
   पूर्व में: सड़क
6 झील का जल स्तर किसी भी कारणवश कम या अधिक हो जाने अथवा झील के बिलकुल सूख जाने अथवा ऊपर से जल बह जाने (ओव्हर फ्लो हो जाने) के कारण लाइसेंसी को यदि कोई क्षति हो जाती है तो बी.एच.ई.एल. प्रबंधन पर कोई दायित्व नहीं होगा लाइसेंस की राशि में भी किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।
7 लाइसेंसी झील का उपयोग मछली पालन और मछली पकड़ने के अलावा अन्य किसी प्रयोजन (जैसे सिंघाडे, कमल, गटरा आदि की उपज) के लिए नहीं कर सकेगा।
8 लाइसेंसी झील का या उसके समीप की किसी भी क्षेत्र सम्पत्ति का अनाधिकृत उपयोग नहीं करेगा। यदि उसके द्वारा ऐसी सम्पत्ति अथवा क्षेत्र की क्षति होती है तो लाइसेंसी को उसकी क्षति पूर्ति करना होगा एवं इससे उत्पन्न अन्य कानूनी उत्तरदायित्वों के उल्लंघन के लिए भी लायसेंसी स्वयं उत्तरदायी होगा।
9 लाइसेंस पूर्णतः अहस्तांतरणीय होगा। लाइसेंसी यह लाइसेंस अपने किसी संबंधी, व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। हस्तांतरण करने पर लाइसेंस स्वतः समाप्त माना जाएगा।
10 लाइसेंसी द्वारा झील में व्यक्ति विशेष जनता, संस्था या बी.एच.ई.एल. प्रबंधन के किसी विद्यमान निस्तार अधिकार अथवा झील के पानी के उपयोग पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा।
11 लाइसेंसी झील के धार्मिक, सार्वजनिक एवं वर्जित स्थलों की परिधि में मत्स्याखेट नहीं करेगा।
12 लाइसेंसी, झील की साफ-सफाई के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। मलवे के निस्तारण की जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी। बीएचईएल परिसर में मलवा जमा नहीं किया जायेगा। झील में विषैली वस्तु, विस्फोटक अथवा अन्य प्रदूषण कारक वस्तु का प्रयोग नहीं करेगा।
13 बीएचईएल प्रबंधन के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि आवश्यकता होने पर प्रबंधन सारंगपाणी झील का उपयोग बोटिंग के लिए कर सकता है।
14 लाइसेंसी को झील की सुरक्षा के लिये झील के समीप ही निवास एवं निस्तार के लिए कम से कम स्थान में कच्चा निर्माण करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है इसके लिए लाइसेंसी को लिखित आवेदन करना होगा।
15 लाइसेंसी को किसी भी स्थिति में पक्के निर्माण की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
16 लाइसेंसी को मत्स्य पालन में लगने वाली आर्थिक पूंजी/लागत/खर्च आदि एवं जोखिम आदि उसके स्वयं के होगें। इस कार्य/व्यापार के लिए बी.एच.ई.एल. प्रबंधन द्वारा कोई आर्थिक सहायता/अनुदान या ऋण नहीं दिया जायेगा।
17 लाइसेंस संबंधी किसी भी मामले पर बी.एच.ई.एल. प्रबंधन द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब लाइसेंसी 10 (दस) दिनों के अन्दर प्रस्तुत/प्रेषित करेगा। अन्यथा बी.एच.ई.एल. प्रबंधन अपना अंतिम निर्णय लेकर उचित कार्यवाही करेगा।
18 लाइसेंसी अपने व्यवसाय प्रचार प्रसार के लिए यदि कोई साईन बोर्ड़ होर्डिंग आदि झील के किनारे/क्षेत्र में लगाना चाहे तो उसे इसकी अनुमति प्रबंधन से लेना होगी। यदि अनुमति प्रदान की गई तो प्रबंधन द्वारा तय की गई शुल्क/चार्जेस स्वीकृत लाइसेंसी को देने होगें। ऐसा शुल्क लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त (अलग) होगा।
19 लाइसेंसी को मत्स्य पालन अधिनियमों का पालन करना होगा।

20 लाइसेंसी अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा लाइसेंस पर दिये गये क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग करने पर अथवा झगड़ा या उपद्रव आदि करने पर पूर्ण जिम्मेदारी लाइसेंसी की ही होगी।

21 लाइसेंसी को शासन द्वारा बनाए गए फिसरीज एक्ट 1940 का एवं इस संबंध में बनाए गए अन्य प्रावधानों को पूर्ण रूप से पालन करना होगा उल्लंघन की स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व लाइसेंसधारी का ही होगा।

22 लाइसेंसी मछली पालन के कार्य में म.प्र. शासन एवं मत्स्य विभाग (फिसरीज डिपार्टमेंट) से पूर्ण समन्वय संपर्क रखेगा एवं उनके तकनीकी निर्देशानुसार कार्य करेगा।

23 लाइसेंसी को उक्त स्थान पर बिजली की आवश्यकता होने पर अलग से आवेदन करना होगा। प्रबंधन के अनुमोदन पर उपलब्धतानुसार बिजली का अस्थाई कनेक्शन विद्युत विभाग के नियम एवं शर्तों के अनुसार दिया जाएगा। इसके लिए किया जाने वाला भुगतान लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त होगा। परन्तु प्रबंधन विद्युत कनेक्शन देने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा।

24 सारंगपाणी झील के रख-रखाव की पूरी जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी। आवश्यक अनुरक्षण का कार्य अपने स्वयं के व्यय पर करेगा।

25 सारंगपाणी झील में मछली पालन के संबंध मे बीएचईएल/शासन द्वारा किसी भी प्रकार का कर यदि आरोपित किया जाता है तो उसे जमा करना/पालन करना लाईसेंसी की जिम्मेदारी होगी, बीएचईएल प्रबंधन किसी भी स्तर पर इसके लिए उत्तरदायी नही होगा। लाइसेंस शुल्क में किसी भी प्रकार का कर सम्मिलित नही है।

26 सारंगपाणी झील में मछली पालन के समय सुरक्षा का सम्पूर्ण ध्यान रखना होगा ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या जनहानी न हो, यदि कोई दुर्घटना होती है तो उस हेतु संबंधितो को मुआवजा देने एवं किसी भी प्रकार के कोई कानूनी दायित्व की समस्त जवाबदारी लाइसेंसी की होगी।

27 पूर्व सूचना एवं कारण बताए बगैर अनुमति/लाइसेंस का प्रतिसंहरण/वापस लेना बी.एच.ई.एल. प्रबंधन के विवेक पर निर्भर रहेगा।

28 लाइसेंसी को सारंगपाणी झील एवं उसके आसपास की साफ सफाई/हरियाली/सुन्दरता बनाये रखना होगा। जल कुम्भी अथवा अन्य जलीय वनस्पतियों आदि को स्वयं के खर्चे पर हटवाकर प्रबंधन द्वारा बताए गए स्थान पर फिकवाना होगा। लाइसेंसी तालाब/झील को ऐसे पौधों से सदैव मुक्त रखेगा।

29 यदि किसी कारणवश लाइसेंसी द्वारा लाइसेंस अवधि के दौरान कार्य को समाप्त/छोड/निरस्त कर दिया जाता है तो बीएचईएल प्रबंधन द्वारा किसी भी प्रकार का बकाया लाइसेंस राशि/ब्याज/प्रतिभूति जमा इत्यादि देय/वापिस नही होगा।

30 लाइसेंसी द्वारा या उसके कर्मचारी द्वारा इस लाइसेंस में दी गई किन्हीं भी बातों का पालन न करने पर या उसकी किसी भी शर्तो का उल्लंघन करने या उसके अनुपालन न करने पर इस लाइसेंस को रद्द माना जाएगा ऐसी स्थिति में लाइसेंसदाता नोटिस या मुआवजा दिए बिना, कभी भी और उन सभी अधिकारों और प्रतिकारों जिसके लिए लाइसेंसदाता इस करार या कानून के अंतर्गत जिसके लिए हकदार होगा उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस परिसर को वापस ले लेगा और लाइसेंस रद्द कर देगा तथा प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर लेगा।

31 यदि लाइसेंसदाता द्वारा लाइसेंसी को कोई नोटिस देने की आवश्यकता हुए तो बी.एच.ई.एल. प्रबंधन या लाइसेंसदाता द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित ऐसा नोटिस लाइसेंसी के व्यापार के ज्ञात पते पर या उपर्युक्त परिसर में डालकर या चस्पा करके या रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजने पर साक्ष्य के रूप में तामील हुआ या लाइसेंसी को प्राप्त हुआ माना जाएगा।

32 यदि कोई नोटिस लाइसेंसी द्वारा बी.एच.ई.एल. प्रबंधन या लाइसेंसदाता द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी व्यक्ति के नाम पर तामील करना है तो वह ऐसा नोटिस इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के कार्यालय के पते पर रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजने या दिए जाने पर तामील माना जाएगा।

33 लाइसेंस के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन होने पर की गई कार्यवाही/आदेश या लाइसेंस की समाप्ति पर उक्त परिसर का कब्जा 7 दिन के भीतर लाइसेंसदाता को ठीक हालत में सौंप देना होगा।

34 यदि लाइसेंसी 7 दिन के अवधि के भीतर उक्त परिसर खाली नहीं करता तो लाइसेंसदाता को लाइसेंसी के खर्चे और हर्जाने पर उसे बेदखल करने की पात्रता होगी और/या जब तक लाइसेंसदाता को लाइसेंसी से खाली परिसर का कब्जा प्राप्त नही हो जाता तब तक क्षतिपूर्ति के तौर पर रू. 1000/- (नियत लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त) प्रतिदिन की दर से अन्तःकालीन शुल्क वसूल किया जाएगा।

35 यदि इन शर्तो के अधीन कोई विवाद उठता है तो उसे महाप्रबंधक (मानव संसाधन) बी.एच.ई.एल. भोपाल या उनके द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी को सौंपा जायेगा व उनका निर्णय लाइसेंसी पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

36 बीएचईएल लोक परिसर क्षेत्र में स्थित सारंगपाणी झील में मछली पालन कार्य हेतु दी गयी अनुमति Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act. 1971 के धाराओं के तहत/अर्न्तगत अधीन होगा।

37 निविदाकार द्वारा दिये गये दस्तावेजों की पुष्टि हेतु बी.एच.ई.एल. द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज मागें जाने पर प्रदान करना होगा।

38 उपरोक्त किसी भी नियम व शर्तो का उल्लंघन पाया जाता है तो सात दिन के समय का नोटिस देकर लाइसेंस समाप्त किया जा सकता है।

बी.एच.ई.एल. के लिए तथा उसकी ओर से

वरि. अभियंता (नगर प्रशासन)

परिशिष्ट 4

तकनीकी निविदा

बी.एच.ई.एल. उद्योग नगरी में लाइसेंस आधार पर सारंगपाणी झील में मछली पालन कार्य की अनुमति हेतु निविदा।

संदर्भः निविदा क्र. न.प्र./दु.प्र./सा.पा.झी./2023/1016 दिनांक 29/03/2023

1. निविदाकार का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : _

2. पता :_ पिन:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. टेलीफोन नं. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ मोबाइल नं. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ई-मेल आईडी: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

तकनीकी योग्यता हेतु पात्रता के मापदंड:

तालिका क्र. 2

क्रमांक	मापदण्ड	वांछित दस्तावेज
1.	निविदाकर्ता के पास मछली पालन कार्य हेतु निविदा जारी किये जाने के दिनांक से एक माह पूर्व से पिछले सात वर्षों के भीतर का अनुभव होना आवश्यक है। उपर्युक्त पूर्ण किए गए ठेके/कार्य का मूल्य निम्नानुसार में से कोई एक हो: (क) प्रत्येक न्यूनतम रू. 70,000/- के तीन कार्य, अथवा (ख) प्रत्येक न्यूनतम रू. 87,500/- के दो कार्य, अथवा (ग) न्यूनतम रू. 1,40,000/- का एक कार्य।	कार्यादेश/लाइसेंस/लाइसेंस अनुबंध आदि एवं कार्य समाप्ति/पूर्णता का प्रमाणपत्र जिसमें कार्य के प्रारंभ किये जाने एवं समाप्ति की दिनांक एवं निष्पादित कार्य के मूल्य का उल्लेख हो। इसके साथ ही किये गये भुगतान का प्रमाण सम्बंधी पावती/रसीद/साक्ष्य आदि की प्रति प्रस्तुत करना होगा।
2.	निविदाकार के द्वारा मछली पालन कार्य हेतु पिछले तीन वर्षों (अर्थात वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22) के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार न्यूनतम रू. 52500/- का होना चाहिए।	सहायक दस्तावेज के रूप में संबन्धित वित्तीय वर्ष हेतु प्रमाणित लेखा परीक्षा (जैसा लागू हो)/ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित दस्तावेज प्रदान करना होगा।
3.	निविदा प्रपत्र शुल्क	जमा का विवरण : डीडी क्र./ रसीद नं. .... दिनांक ....
4.	धरोहर राशि (EMD)	जमा का विवरण डीडी क्र./ रसीद नं. .... दिनांक ....
5.	निविदाकार की स्थिति का विवरण : व्यक्ति/भागीदार/ट्रस्टी/संचालक/आदि	स्थिति हेतु संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति
6.	स्थापना की पंजीयन संख्या	पंजीयन पत्र की छायप्रति
7.	निविदाकार का पेन/PAN (आयकर संबंधी)	PAN कार्ड की छायाप्रति
8.	GST क्र. (जैसा लागू हो)	छायाप्रति

मै यह घोषणा करता/करती हूँ कि वर्णित तथ्य/दस्तावेज मेरी जानकारी के अनुसार सत्य, सही व पूर्ण है। मै यह भी जानता/ जानती हूँ कि अपूर्ण/असत्य जानकारी/दस्तावेज जमा करने पर निविदा की किसी भी स्थिति पर निविदा को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा एवं/अथवा मेरे द्वारा प्रस्तुत मूल्य निविदा पर विचार न करते हुये निविदा अमान्य कर दी जाएगी। बीएचईएल द्वारा आवश्यकता होने अथवा उपर्युक्त जानकारी/दस्तावेज से संतुष्ट न होने की दशा में वांछित दस्तावेज बिना किसी देरी के प्रस्तुत न करने पर मुझे तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किये जाने पर मुझे आपत्ति नहीं होगी।

मूल्य निविदा (परिशिष्ट-5) अलग मुहरबंद लिफाफे में रखा गया है।

दिनांक ....

स्थान ....

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं मुहर

परिशिष्ट 5

मूल्य निविदा (प्राइस बिड)
(इसे अलग लिफाफे में बंद करें)

बी.एच.ई.एल. उद्योग नगरी में लाइसेंस आधार सारंगपाणी झील में मछली पालन कार्य की अनुमति हेतु निविदा।

संदर्भः निविदा क्र. न.प्र./दु.प्र./सा.पा.झी./2023/1016 दिनांक 29/03/2023

1. निविदाकार का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : ____

2. पता :____

____ पिन:_____________

3. टेलीफोन नं. _______________ मोबाइल नं. _______________ ई-मेल आईडी: ____________________

बीएचईएल द्वारा आरक्षित लाइसेंस शुल्क रु. (प्रथम वर्ष हेतु)	निविदाकार द्वारा उद्धृत (कोटेड) राशि अंकोमें रु. (प्रथम वर्ष हेतु)	निविदाकार द्वारा उद्धृत (कोटेड) राशि शब्दों में (प्रथम वर्ष हेतु)
1,75,000/-	रूपये..................................	रूपये .... ….. …………...

नोट:

1. द्वितीय वर्ष हेतु प्रथम वर्ष का लाइसेंस शुल्क (उद्धृत शुल्क) पर 10% वृद्धि के साथ लाइसेंस शुल्क द्वितीय वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व देय होगा व अन्य वर्ष हेतु इस तरह पूर्व वर्ष के लाइसेंस शुल्क पर 10% वृद्धि के साथ लाइसेंस शुल्क देय होगा।
2. यदि शासन द्वारा मछली पालन हेतु कोई कर अधिरोपित किया जाता है तो लाइसेंस प्राप्त कर्ता को उक्त कर देना होगा।

दिशा-निर्देश :-

1. प्राइस बिड को सीलबंद लिफाफे में अलग से जमा करें।
2. लिफाफे के ऊपर निविदाकार का नाम, पता एवं मोबाइल नं. स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना अनिवार्य है।
3. निविदाकार द्वारा उद्धत वार्षिक लाइसेंस शुल्क अंकों एवं शब्दों में लिखा होना अनिवार्य है, अंकों में एवं शब्दों में विभिन्नता की दशा में शब्दों में उद्धत राशि मान्य की जाएगी।
4. आरक्षित लाइसेन्स शुल्क से कम उद्धत (quote) राशि मान्य नहीं होगी।
5. काँट-छांट होने पर निविदा अमान्य की जा सकती है।
6. विवाद की किसी भी दशा में अपर महाप्रबंधक (नगरीय), बी.एच.ई.एल, भोपाल का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

घोषणा:-

मैंने निविदा दस्तावेजों को ध्यान पूर्वक पढ़ और समझ लिया है एवं मुझे निविदा अंतर्गत सभी जानकारी, नियम एवं शर्तें मान्य हैं।

दिनांक : __________ निविदाकार के हस्ताक्षर एवं मुहर

स्थान: ___________